# प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

## बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं० 84/12–13

## किरण देवी वनाम् संजय सिंह

## आदेश

आवेदिका किरण देवी पति रजीत सिंह साकिन प्यारेचक थाना वो जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित जमीन को विपक्षी संजय सिंह के नाजायज कब्जा से मुक्त कराने का अनुरोध किया है। साथ ही विवादित जमीन पर आवेदिका के अधिकार की भी धोषणा का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम पिपरा बंगला थाना वो जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

| खाता | खेसरा | रकवा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 14.50 डी० | उ० डंगरा आहार सिवान<br>द० शशि देवी<br>पू० बैकुठ सिंह<br>प० राजनंदन सिंह |

वाद की प्रविष्टि की गई एवं विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) आवेदिका एवं विपक्षी का वंशावली निम्न है:–

रामलगन सिंह

पारस सिंह — सुखदेव सिंह पत्नी राम श्रृंगारी देवी — मुखदेव सिंह — चंद्रदेव सिंह

अजय सिंह — संजय सिंह (विपक्षी) — किरण देवी ( आवेदिका) — शशी देवी

(2) आवेदिका के पिता सुखदेव सिंह और अन्य दो भाई पारस सिंह वो मुखदेव सिंह ने 1981 में स्थानीय मुखिया ग्राम पंचायत मोथा के समक्ष बॅटवारा किया और अपना अपना हक हिस्सा लेकर अलग हो गये और अपने अपने हिस्से पर काबिज दाखिल हुए,चंद्रदेव सिंह अपना हिस्सा अलग कागज पर बॅटवारा कर अलग हो गये जिससे किसी फरिकैनों को कोई वास्ता सरोकार नही हैं।

(3) उक्त बॅटवारा में प्रश्नगत खाता खेसरा की 29 डी० जमीन सुखदेव सिंह को प्राप्त हुई जिसपर उनका दखल कब्जा बना रहा ।

(4)सुखदेव सिंह अपनी विधवा सिंगारी देवी और दो पुत्रियों क्रमशः किरण देवी,आवेदिका एवं शशि देवी को छोड़कर स्वर्गवास कर गई।

(5) पिता की मृत्यु के उपरान्त आवेदिका एवं उनकी बहन अपनी विधवा माँ की देखभाल एवं परवरिश करते रहे। विधवा माँ सिंगारी देवी की मृत्यु दिनांक 29.05.09 को हो गयी।

(6) मॉ की मृत्यु के उपरान्त आवेदिका एवं उनकी बहन शशि देवी ने अपनी तमाम पैतृक संपति को आपस में खानगी ड्योढबंदी से बॉट ली और प्रश्नगत भूमि का आधा हिस्सा 14.50 डी० वाद पत्र में उल्लेखित चौहद्दी के मुताबिक आवेदिका को प्राप्त हुई जिसका नामांतरण होकर आवेदिका के नाम सरकारी रसीद निर्गत की जा रही है।

(7) उक्त भूमि का लैण्ड पाजेशन सर्टिफिकेट भी अंचल अधिकारी अरवल द्वारा निर्गत की गई है।

(8) स्व० सिंगारी देवी ने अपने जीवनकाल में किसी प्रकार का किसी के पक्ष में कोई वसीयतनामा निष्पादित नही की है बल्कि यह दस्तावेज जाली और फर्जी है।

(9) प्रोबेट वाद लंबित रहने से या दायर हो जाने से उपरोक्त वाद प्रभावित नहीं होता है क्योंकि वसीयतनामा प्रभावकारी नहीं है और विपक्षी के हस्तेक्षप का कोई औचित्य नही है।

(10) तथाकथित वसीयतनामा भी कानूनी दृष्टिकोण से अवैध है क्योंकि प्रश्नगत भूमि का कुल रकवा 29 डी० है और स्व० सुखदेव सिंह की विधवा के अतिरिक्त दो पुत्रियॉ है। ऐसी स्थिति में सिर्फ सिंगारी देवी द्वारा कुल रकबे की वसीयतनामा करना ही गैर कानूनी है।

(11) विपक्षी का वसीयतनामा प्रभावकारी ही नही हुआ है और न तो प्रोबेट फाइनल है और ना हि विपक्षी को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही प्राप्त है।

(12) उक्त वसीयतनामना के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का बलात कब्जा भी गैर विधिक है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत भूमि पर आवेदिका को कब्जा दिलाने का अनुरोध आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :--

(1) प्रश्नगत खाता खेसरा कुल एराजी 29 डी० को आवेदिका की माता स्व० सिंगारी देवी ने दिनांक 12.09.03 को निबंधित वसीयतनामा से अजय सिंह वो संजय सिंह को लिख चुकी है।

(2) उपरोक्त वसीयतनामा की संपुष्टि हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहानाबाद के न्यायालय में प्रोबेट वाद सं० 13/10 लंबित है।

(3) आवेदिका किरण देवी की मॉ श्रृंगारी देवी के पास कुल 2.50 वीधा जमीन थी उसमें से एक एक बीधा दोनों पुत्रियॉ शशि कुमारी एवं किरण देवी के नाम से इसी वसीयतनामा के तिथि में वसीयत की गई थी और शेष 29 डी०भूमि अजय सिंह वो संजय सिंह के नाम से वसीयत की गई थी।

(4) आवेदिका ने ऐसी कोई बॅटवारा की सिड्यूल न्यायालय में उपस्थापित नही की है जो यह दर्शाये की प्रश्नगत भूमि इनके हिस्से की है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। विवादित खाता खेसरा कुल रकवा 29 डी० आवेदिका के पिता स्व० सुखदेव सिंह को भाइयों से आपसी बॅटवारा में प्राप्त हुआ था। स्व० सुखदेव सिंह की

दो पुत्रियाँ थी-- शशि कुमारी एव किरण देवी(आवेदिका) । आवेदिका ने अपने वाद पत्र में लिखा है कि माता पिता की मृत्यु उपरान्त आवेदिका एवं शशि देवी अपना हक हिस्सा बॉट ली और शशि देवी ने अपने हिस्से की मकान किरण देवी के हाथ बेच दी जिसमें आवेदिका निवास कर रही है। आवेदिका द्वारा न्यायालय में न तो बॅटवारा संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत किया गया है और न ही शशि देवी से क्रय की गई मकान का दस्तावेज ही प्रस्तुत किया गया है। बगैर उपरोक्त कागजातों के विवादित जमीन पर आवेदिका के अधिकार की धोषणा नहीं की जा सकती है। वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एव संशोधित

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।